18.04.2017 प्रार्थना पत्र सुखजीतसिंह पुत्र श्री हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 26 एच तहसील श्रीकरनपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के मामा सुखदेवसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि आराजी चक 26 एच के मु.नं. 37,40,52,67,76/21= 6.325हैक. हिस्सा व मु.नं. 36,53,67,76/20 = 1.638 हैक. हिस्सा कृषि भूमि अपने भान्जे सुखजीतसिंह पुत्र श्री हाकमसिंह के पक्ष में वसीयत दिनांक 01.01.1986 को निष्पादित करवाई है, के आधार पर प्रार्थी इन्तकाल दर्ज करवाना चाहते है। वसीयत कर्ता का देहान्त दिनांक 15.11.1986 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। पटवारी हल्का से वसीयत के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली जावे। प्रार्थी को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने के लिए प्रार्थी को पत्र जारी कर पाबन्द किया जावे। प्रकरण रजिस्टर किया जावे। पत्रावली आगामी दिनांक..08.05.2017..को पेश हो।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

8/5/17 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हो चुकी है, जो शामिल पत्रावली हो। वसीयत के सम्बन्ध आपत्ति/एतराज हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र दिनांक 19/4/17 के अंक की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली हो। वसीयत में दर्ज गवाहान के बयान हेतु प्रार्थी को पाबन्द किया। पत्रावली आगामी दिनांक 24/5/17 को ग्राम पंचायत 25 H दलपतसिंहपुर अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017 में पेश हो।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

24/5/17 आज पत्रावली ग्राम पंचायत 25 H दलपतसिंहपुर में राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" में शिविर में पेश हुई। शिविर में वसीयत में दर्ज गवाहान श्री हरबन्स सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह जाति जटसिख निवासी 26 H तहसील श्रीकरणपुर और श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 26 H तहसील श्रीकरणपुर उपस्थित होकर वसीयत के सम्बन्ध में अपने बयान दर्ज करवाये। गवाहान के

Scanned by CamScanner

नवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील

बयानातनुसार वसीयतकर्ता श्री सुखदेव सिंह पुत्र
श्री ईशरसिंह ने वसीयत पूरे होस हवास में, बिना
किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव के और
बिना किसी विवाद के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से वसीयत
लिखवाना और अपनी पूर्ण रजामन्दी से वसीयत
करवाना और बिना किसी विवाद से वसीयत क्रियान्वित
होने बाबत दर्ज करवाये है। मौके पर कब्जा काश्त
भी वसीयत अनुसार है। मौके पर कोई विवाद नहीं है।
राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-
2017 में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों / मौतबिरान
से वसीयत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। जिसपर
में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों / मौतबिरान के बताया
कि वसीयतकर्ता सुखदेव सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
ने वसीयत सुखजीत सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह के
पक्ष में बिलकुल सही की है। वसीयत भूमि पर मौके
पर कोई विवाद नहीं है। मौके पर कब्जा काश्त
भी वसीयत अनुसार ही है। वसीयत कर्ता का देहान्त
हो चुका है। वसीयत के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति
का कोई एतराज नहीं है। वसीयतकर्ता ने यह
वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण
रजामन्दी से सुखजीत सिंह को करवाई है। सुखजीत
सिंह का ही मौके पर कब्जा काश्त है। मौके पर कोई
विवाद नहीं है। पत्रावली के साथ संलग्न कागजात को
मूल कागजात से मिलान हेतु प्रार्थी से मूल कागजात
मंगवाये गये। जो मिलान बाद प्रार्थी को लौटा
दिये गये। इस कार्यालय के पत्रांक / व.पु. / भू.अ./
~~राजस्व लोक अदालत अभियान~~
2017 / 866-67 दिनांक 18/4/17 द्वारा सार्वजनिक सूचना
दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र "दैनिक भोर" दिनांक
19/4/17 के अंक में जारी की गई। वसीयत के
सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	सूचना प्रकाशित होने के बाद आखिर तक कोई भी आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुए है।	
	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों / मौतबिरान से ~~xxxx~~ गहनता से पूछताछ के आधार पर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। ~~प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।~~	
	राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम ~~xxx~~ 131(2) के तहत वसीयत भी वैधता प्रमाणित होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।	
	निर्णय आज राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हलका को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर	

गिरधारी लाल
सरपंच
ग्रा.पं. 25 H दलपतसिंहपुरा
पं. स. श्रीकरणपुर